WWW.LIVELAW.IN

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ)
   P.S. (थाना): हज़रतगंज **Year (वर्ष):** 2021
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0031
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 17/01/2021 23:46

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	153-A
2	भा दं सं 1860	295
3	भा दं सं 1860	505(1)(b)
4	भा दं सं 1860	505(2)
5	भा दं सं 1860	469
6	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66
7	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66F
8	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	67

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

WWW.LIVELAW.IN

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 17/01/2021 **Time (समय):** 23:46 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 079 **Date & Time (दिनांक और समय):** 17/01/2021 23:46 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** अन्य **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) **Address (पता):** अदम तहरीर

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**

   Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

WWW.LIVELAW.IN

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** अमर नाथ यादव व0उ0नि0 कोतवाली हजरतगंज

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1974

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कोतवाली हजरतगंज ,हज़रतगंज,लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	कोतवाली हजरतगंज ,हज़रतगंज,लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.):

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अपर्णा पुरोहित हेड इन्डिया ओरिजिनल कंटेन्ट अमेजन			1. अज्ञात,अज्ञात
2	अली अब्बास जफर डायरेक्टर तांडव वेब सीरीज			1. अज्ञात ,अज्ञात
3	हिमांशू कृष्ण मेहरा प्रोड्यूसर			1. अज्ञात ,अज्ञात
4	गौरव सोलंकी राइटर			1. अज्ञात,अज्ञात
5	अन्य			1. अज्ञात ,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाइपशुदा सेवा में,प्रभारी निरीक्षक महोदयथाना हजरतगंज, कमिश्नरेट, लखनऊ।विषयः अमेजन प्राइम वीडियो पर चल रही वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक व अन्य सम्मिलित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने विषयक।महोदय, अवगत कराना है कि आज दिनक 17.01.2021 को ट्विटर हैण्डल तथा अन्य सोशल मीडिया निगरानी के दौरान पाया गया कि ओटीटी प्लेट फार्म अमेजन प्राइम वाडियो पर जन प्राइम वीडियो पर दिनक 16.01.2021 को रिलीज वेब सीरीज तांडव के विरोध में काफी आकोश भरे लेख (कमेंट) आ रहे हैं तथा उक्त वेब सीरीज की फुटेज भी लोग पोस्ट व

WWW.LIVELAW.IN

शेयर कर रहे हैं। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अमेजन प्राइम वीडियो पर उक्त वेब सीरीज को देखा गया तो पाया गया कि वेब सीरीज के प्रथम एपीसोड में सत्रहवें मिनट में हिन्दू देवी-देवताओं का बेहद विदूप ढंग से रूप धारण कर धर्म से जोड़ कर अमर्यादित तरीके से देवी-देवताओं को बोलते दिखाया गया है तथा निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला एवं आघात पहुंचाने वाला है। इसी प्रकार उक्त एपीसोड नं0-1 के बाईसवें मिनट में जातिगत विद्वेष फैलाने वाले संवाद हैं। ऐसे ही संवाद और भी एपीसोड में मौजूद हैं। उक्त वेब सीरीज में भारत के प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति का चित्रण अत्यंत अशोभनीय ढंग से किया गया है। वेब सीरीज में जातियों को छोटा बड़ा दिखाकर विभक्त करने वाले तथा महिलाओं का अपमान करने वाले दृश्य हैं तथा वेब सीरीज की मंशा एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर वर्ग विद्वेष फैलाने की है। इस वेब सीरीज का इंटनेट के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है, जो समाज के लिये सर्वथा हानिकारक है। उक्त वेब सीरीज के निर्माता-निर्देशक द्वारा किया गया यह कृत्य धार्मिक एवं जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा भड़काने एवं शासकीय व्यवस्था को क्षति एवं अश्लीलता फैला रहा है । जानकारी करने पर पाया गया कि उक्त वेब सीरीज को जारी करने में अपर्णा पुरोहित - हेड इन्डिया ओरिजिनल कंटेन्ट अमेजन, अली अब्बास जफर- डायरेक्टर तांडव वेब सीरीज, हिमांशू कृष्ण मेहरा- प्रोड्यूसर ,गौरव सोलंकी राइटर और अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं तथा यह भी जानकारी में आया कि अली अब्बास जफर व हिमांशू कृष्ण मेहरा उपरोक्त द्वारा आफ साइट इन्टरटेनमेंट कम्पनी भी स्थापित की गयी है । ।अतः अनरोध है कि उक्त वेब सीरीज में उक्त सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अपठनीय 17.1.2021(अमरनाथ यादव) व0उ0नि0 कोतवाली हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ। नोट मुकदमे की कायमी का0 पवन द्वारा तथा नकल की तहरीर मुझ का0 मनीष द्वारा की गयी ।

WWW.LIVELAW.IN

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Anil Kumar Singh **Rank** (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 012620063 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

WWW.LIVELAW.IN

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Shyam Babu Shukla
Rank I (Inspector)
No. 012660429

WWW.LIVELAW.IN

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					

WWW.LIVELAW.IN

4	पुरुष					

5	अज्ञात					

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	**Place Of** (का स्थान)					**Others** (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma** (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	**Mole** (मस्सा)	**Scar** (घाव)	**Tattoo** (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)